भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4421

जिसका उत्तर 27.03.2025 को दिया जाना है

भारतमाला परियोजना कार्यक्रम का कार्यान्वयन

4421. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी:

श्री के. सी. वेणुगोपाल:

श्री मलैयारासन डी.:

श्री बिद्युत बरन महतो:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतमाला परियोजना के अंतर्गत परियोजनाओं, विशेषकर सड़क निर्माण, संपर्क सुधार, परियोजनाओं के पूरा होने की समय-सीमा और लंबित परियोजनाओं के संबंध में राज्यवार, विशेषकर तमिलनाडु में, वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार, उक्त योजना के अंतर्गत पूरी की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) भारतमाला परियोजना के अंतर्गत अब तक कितने किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों का कार्य पूरा किया गया है/कितने राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है/ कितने राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन किया गया है और वर्तमान परियोजनाओं को पूरा करने की संभावित समय-सीमा क्या है;

(ङ) लंबित परियोजनाओं में विलंब के प्रमुख कारण क्या हैं और इनमें तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) भारतमाला परियोजना के भावी चरणों की रूपरेखा क्या है और इस संबंध में वित्तपोषण और निष्पादन किस प्रकार सुनिश्चित किया जाएगा;

(छ) इस योजना के अंतर्गत सुदूर/सीमावर्ती/आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में सड़क संपर्क में सुधार के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं;

(ज) सरकार भारतमाला परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों, जैसे भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृति, स्थानीय विरोध और अन्य बाधाओं का समाधान किस प्रकार कर रही है;

(झ) तमिलनाडु में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत अवसंरचना की सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ञ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि परियोजना के लाभ, जैसे कि संवर्धित कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास विशेषकर झारखंड के ग्रामीण/अल्पसेवित क्षेत्रों तक पहुंचे?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ज) और (ञ) भारतमाला परियोजना को सरकार द्वारा 2017 में मंजूरी दी गई थी, जिसमें आर्थिक गलियारे, अंतर गलियारे, फीडर रूट, राष्ट्रीय गलियारे की दक्षता में सुधार, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कता, तटीय और बंदरगाह संपर्कता सड़कें और एक्सप्रेसवे के साथ-साथ शेष राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) परियोजनाओं के निर्माण के माध्यम से देश भर में 34,800 किलोमीटर की लंबाई को कवर किया गया है।

भारतमाला परियोजना का उद्देश्य देश में लॉजिस्टिक दक्षता और संपर्कता में सुधार लाना है, जिसमें जनजातीय, आकांक्षी और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों तक संपर्कता शामिल है।

दिनांक 28.02.2025 तक, कुल 26,425 किलोमीटर की लंबाई को कवर करने वाली परियोजनाएं सौंप दी गई हैं और इसमें से 19,826 किलोमीटर का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। राज्य-वार विवरण संलग्न हैं।

भूमि अधिग्रहण (एलए), ठेकेदारों को आने वाली वित्तीय कठिनाइयाँ, अप्रत्याशित घटनाएँ और निर्माण सामग्री की कमी सहित निर्माण-पूर्व गतिविधियों में देरी आदि के कारण भारतमाला परियोजना के चरण-I के तहत कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी हुई है। इन चुनौतियों से निपटने और परियोजना निष्पादन में तेजी लाने के लिए सरकार ने विभिन्न पहल की हैं। इनमें भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज करना, तेजी से वन और पर्यावरण मंजूरी की सुविधा के लिए परिवेश पोर्टल को दुरुस्त करना, रेलवे से रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज(आरओबी/आरयूबी) के सामान्य व्यवस्था ड्रॉइंग (जीएडी) की ऑनलाइन मंजूरी को सक्षम करना और राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के साथ विभिन्न स्तरों पर समीक्षा बैठकें आयोजित करना शामिल हैं। सरकार इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। शेष चल रहे कार्यों को पूरा करने की संशोधित समय-सीमा वित्तीय वर्ष 2027-28 है।

दिनांक 16.11.2023 से भारतमाला परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत नई स्वीकृतियाँ रोक दी गई हैं।

(झ) जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का सवाल है, जिसमें तमिलनाडु राज्य भी शामिल है, भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों, दिशा-निर्देशों, मैनुअल, आचार संहिता के साथ-साथ सड़क और पुल निर्माण के विनिर्देशों के अनुसार काम किया जाता है। डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव के चरणों के दौरान आवश्यक सड़क सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनएच परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, उद्घाटन पूर्व चरण के साथ-साथ मौजूदा एनएच पर सभी एनएच की नियमित सुरक्षा ऑडिट के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

अनुबंध

भारतमाला परियोजना कार्यक्रम का कार्यान्वयन के संबंध में श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी, श्री के. सी. वेणुगोपाल, श्री मलैयारासन डी, श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा दिनांक 27.03.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4421 के भाग (क) से (ज) के उत्तर में उल्लिखत अनुबंध।

भारतमाला परियोजना चरण-I के तहत सौंपी गई और निर्मित लंबाई का राज्य-वार विवरण		
राज्य	**सौंपी गई परियोजनाओं की लंबाई (किमी)**	**निर्मित लंबाई (किमी)**
आंध्र प्रदेश	1,936	1,070
असम	431	381
बिहार	1,159	672
छत्तीसगढ़	471	291
दिल्ली	203	183
गोवा	26	26
गुजरात	1,194	977
हरियाणा	1,058	940
हिमाचल प्रदेश	167	115
जम्मू एवं कश्मीर	251	131
झारखंड	801	481
कर्नाटक	1,603	1,109
केरल	708	443
मध्य प्रदेश	2,017	1,586
महाराष्ट्र	2,174	1,878
मणिपुर	635	417
मेघालय	170	112
मिजोरम	593	461
नागालैंड	208	157
ओडिशा	967	909
पंजाब	1,553	692
राजस्थान	2,360	2,251
तमिलनाडु	1,476	1,230
तेलंगाना	1,026	793
त्रिपुरा	94	68
उत्तर प्रदेश	2,496	1,964
उत्तराखंड	264	163
पश्चिम बंगाल	385	324
कुल	**26,425**	**19,826**

*****